



भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग  
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT

**प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकदारी) - I, महाराष्ट्र**  
**OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (ACCOUNTS & ENTITLEMENT)-I, MAHARASHTRA**

2 री मंजिल, प्रतिष्ठा भवन, न्यु मरीन लाइन्स,  
101 महर्षि कर्वे मार्ग, मुंबई - 400 020  
दूरध्वनी : (022) 22039680 फॅक्स : 22086984  
E-mail : agaeMaharashtra1@cag.gov.in  
Web : http://agmaha.cag.gov.in

2nd Floor Pratishtha Bhavan  
101 Maharshi Karve Road  
Mumbai - 400 020  
Tel : (022) 22039680 Fax : 22086984  
E-mail : agaeMaharashtra1@cag.gov.in  
Web : http://agmaha.cag.gov.in

सं. प्रशा-I/पदोन्नती/व.निजी सचिव/170

दिनांक: 31-12-2022

**कार्यालय आदेश**

प्रधान महालेखाकार महोदया श्रीमती प्रसन्ना मेनन, निजी सचिव को केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस) (संशोधित वेतन) नियम 2016 के वेतन मैट्रिक्स (47600-151100) के वेतन स्तर 8 में दिनांक 01-01-2023 या कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक जो भी बाद में हो, वरिष्ठ निजी सचिव के संवर्ग में पदोन्नत करने पर हर्ष महसूस करती हैं, बशर्ते पदोन्नति की तिथि पर प्रधान महालेखाकार द्वारा ही कार्यालय की अध्यक्षता की जा रही हो।

Principal Accountant General is pleased to promote Smt. Prasanna Menon, Private Secretary to officiate in the cadre of Senior Private Secretary in the Pay Level 8 of Pay Matrix (47600-151100) of CCS (Revised Pay) Rules 2016 with effect from 01-01-2023 or from the date of assumption of charge, whichever is later provided the office continues to be headed by Principal Accountant General on the date of promotion.

श्रीमती प्रसन्ना मेनन, निजी सचिव को 04-06-2020 में तीसरी आर्थिक बढ़ोतरी मंजूर की गई है और वे लेवल 8 पर वेतन आहरण कर रही हैं। अतः उनको आगे वेतन नियतन प्रदान नहीं किया जायेगा।

Smt. Prasanna Menon, Private Secretary was granted 3rd MACP with effect from 04-06-2020 and is drawing pay in Level 8. Hence no further fixation is admissible to her.

केंद्रीय कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 19/05/2009 के अनुलग्नक के पैरा 25 के अनुसार पदोन्नति के लिए मना करने पर, संशोधित सुनिश्चित कैरियर उन्नयन योजना (एम.ए.सी.पी.) के तहत उक्त कर्मी को वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

In the event of refusal of promotion, the official will not be eligible to be considered for financial up-gradation under the MACPS in terms of para 25 of Annexure to DoPT O.M. dated 19-05-2009.

329-LDP

3792

EOP (SU)

उपरोक्त पदोन्नति आगे के आदेशों के अधीन है जो केंद्रीय कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय जापन संख्या 36012/11/2016-Estt.(Res-I) (Pt-II) दिनांक 15.06.2018 के पैरा 5 में संदर्भित विशेष अनुमति याचिका के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किया गया है।

The above promotion is subject to further orders which may be passed by the Hon'ble Supreme Court in respect of the Special Leave Petition as referred to in para 5 of DoPT O.M. No. 36012/11/2016-Estt.(Res-I) (Pt-II) dated 15-06-2018. -

(Authority: Headquarters' Office letter No.1153-Staff(Appt)/262-2022 dated 30-12-2022 and Principal Accountant General's order dated : 31-12-2022)

हस्ता/-

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

सं. प्रशा-1/पदोन्नती/व.निजी सचिव/619

दिनांक: 31-12-2022

सहायक नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (N)  
भारत के नियंत्रक -महालेखापरीक्षक का कार्यालय  
9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग,  
नई दिल्ली - 110 124.

हस्ता/-

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

सं. प्रशा-1/पदोन्नती/व.निजी सचिव/619-A

दिनांक: 31-12-2022

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार के सचिव /प्रधान महालेखाकार के निजी सचिव
2. समूह अधिकारियों के आशुलिपिक - ग्रेड 1
3. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, प्रशा.-2-3 / स्थापना /अभिलेख -1, 2 / आं.ले.प. /प्रशिक्षण
4. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, टी.एम. /पी. एफ. (विविध) / पेंशन (विविध)
5. भुगतान व लेखा अधिकारी, लेखापरीक्षा, मुंबई 400 020
6. वरिष्ठ लेखा अधिकारी / इंडीपी (एस जी) कार्यालय की वेबसाइट में आदेश अपलोड करने के लिए
7. श्रीमती प्रसन्ना मेनन, निजी सचिव
8. महासचिव, लेखा श्रेणी-II एसोसिएशन, मुंबई
9. अतिरिक्त प्रतियाँ

के.ए.ए.वा.दे

वरिष्ठ लेखा अधिकारी /प्रशासन-I